रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 95] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 24, 1999/अग्रहायण 3, 1921
No. 95] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 24, 1999/AGRAHAYANA 3, 1921

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1999

फा. सं. टीएएमपी/6/98-सीएचपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार चेन्नई पत्तन न्यास में कर्ब पत्थरों, कोबल पत्थरों और ग्रेनाइट के छोटे टुकड़ों के लिए घाटशुल्क दर का निर्धारण करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला संख्या टीएएमपी/6/98-सीएचपीट

चेन्नई पत्तन न्यास (सीएचपीटी) .....आवेदक

आदेश

(अक्तूबर, 99 के 29वें दिन को पारित किया गया)

यह मामला चेन्नई पत्तन न्यास (सीएचपीटी) के दर मानों में एक नई मद 77 क शामिल करके कर्ब पत्थरों, कोबल पत्थरों और ग्रेनाइट के छोटे टुकड़ों के लिए 20/- रूपए प्रति मी० टन के घाटशुल्क का निर्धारण करने के संबंध में चेन्नई पत्तन न्यास को दिनांक 6 मार्च, 97 के पत्र सं० पीआर-14012/13196-पीजी द्वारा सूचित सरकार की स्वीकृति की अभिपुष्टि करने के लिए किए गए अनुरोध से संबंधित है। ये तमिलनाडु सरकार के राजपत्र में 25 जून, 97 को प्रकाशित किए गए थे। इस मामले की पृष्ठभूमि नीचे स्पष्ट की गई है।

2. कोबल पत्थरों को प्रारंभ में दर मानों के अध्याय-II, मद सं०-77 "पत्थर - मूर्तिकला, सज्जित उत्कीर्ण की हुई पटिया" के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था, जिस पर 38.50 रूपए प्रति टन का प्रभार लगाया गया था।

3. इस पर व्यापार जगत ने इस आधार पर अप्रसन्नता व्यक्त की थी कि कोबल पत्थर कम वाणिज्यिक मूल्य के ग्रेनाइट के छोटे टुकड़े थे, जिनका भारी मात्रा में प्रहस्तन किया जाता है और इस प्रकार अयस्क , कोयला जैसे भारी मात्रा वाले कार्गो पर लागू मद संख्या 64 ख के अंतर्गत 11.30 रूपए प्रति मी० टन की दर पर भारित किए जा सकते थे। सद्भावना प्रदर्शन के रूप में पत्तन ने दर मानों की मद 64 ख के अंतर्गत "निर्यात के लिए भारी मात्रा में अयस्क और खनिज" के लिए निर्धारित 11.30 रूपए प्रति मी० टन की दर लगाने का निर्णय लिया।

4. लेखापरीक्षा ने इस वर्गीकरण पर इस आधार पर आपत्ति की थी कि ग्रेनाइट के टुकड़ों में धात्विक तत्व नहीं था। लेखापरीक्षा की आपत्ति को मद्देनजर रखते हुए बड़े पत्थरों पर लागू 38.50 रूपए की घाटशुल्क दर कोबल पत्थरों पर जनवरी, 95 से पुनः लागू की गई थी। पत्तन न्यास के निर्णय से दुखी निर्यातकों ने मद्रास उच्च न्यायालय में एक रिट याचितका दायर की थी। यह मुकदमा अभी भी न्यायालय में प्रगति पर है। न्यायलय ने सीएचपीटी के दर मानों के वर्गीकरण 77 के अनुसार सीएचपीटी को घाटशुल्क प्रभारों की माँग करने और एकत्र करने से रोकने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित किया है। पत्तन वर्गीकरण के अनुसार मद संख्या 77 के अंतर्गत यह प्रभार 38.50 रूपए प्रति मी० टन की दर पर है, जबकि व्यापार जगत के अनुसार यह धारा 64 ख के अंतर्गत 11.30 रूपए प्रति मी० टन की दर पर भारित किया जाना है।

5. चूँकि, दर मानों में ग्रेनाइट के छोटे टुकड़ों/कोबल पत्थरों के लिए कोई निर्धारित दर न होने के कारण विवाद उत्पन्न हुआ है, इसलिए पत्तन ने सीएचपीटी के दर मानों में 77 क नामक एक नई प्रविष्टि का प्रस्ताव करके कोबल पत्थरों/कर्ब पत्थरों के भारी मात्रा में पोतलदान के लिए 20/- रूपए प्रति मी० टन की नई दर अनुमोदित करने का निर्णय किया है।

6. प्राधिकरण द्वारा अपनाई जा रही पद्धति के अनुसार विभिन्न प्रयोक्ताओं/पत्तन प्रयोक्ताओं के प्रतिनिधि निकाय यथा, मैसर्स ए०एस० दोरायस्वामी एण्ड सन्स, मैसर्स आर्चियन ग्रेनाईटस (प्रा०) लिमिटेड, मैसर्स आर०आर० स्टोन्स (प्रा०) लिमिटेड, मैसर्स आर्केडिया शिपिंग एण्ड ट्रेडिंग, मैसर्स जेम फारवार्डर्स, मद्रास वाणिज्य एवं उद्योग मण्डल (एमसीसीआई), दक्षिण भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मण्डल (एसआईसीसीआई) और भारतीय खनिज उद्योग संघ (एफआईएमआई) से टिप्पणियां मांगी गई थीं। केवल मैसर्स आर्चियन ग्रेनाइटस (प्रा०) लिमिटेड, मैसर्स आर०आर० स्टोन्स (प्रा०) लिमिटेड, मैसर्स जेम फारवार्डर्स और एफआईएमआई से टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। यह नीचे संक्षेप में दी गई हैं :-

6.1 **मैसर्स आर्चियन ग्रेनाईटस (प्रा०) लिमिटेड :**

(i) वे चीन से भारी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं, जब तक लागत में कमी के रूप में प्रर्याप्त सहायता नहीं दी जाती, तब तक उनके लिए व्यापार बनाए रखना कठिन होगा।

(ii) कोबल पत्थरों का प्रहस्तन बाराईटस जैसे अन्य खनिजों और अयस्कों के समान है, इसलिए 11.30 रूपए प्रति मी० टन का घाटशुल्क भारित करना उचित होगा। कोई भी वृद्धि अनुचित होगी और निर्यातकों को हतोत्साहित करने वाली होगी।

(iii) वजन तोलने के लिए वे निजी तोलसेतु बना रहे हैं, परन्तु पत्तन इसके लिए भी भारित कर रहा है। प्रदान न की गई सेवाओं के लिए कोई प्रभार एकत्र करना सही नहीं है।

6.2 **मैसर्स आर०आर० स्टोन्स लिमिटेड**

(i) यह मद अयस्कों और खनिजों पर लागू सीएचपीटी के दर मानों की मद संख्या 64 ख के अंतर्गत वर्गीकृत की जा सकती है, क्योंकि उनका वाणिज्यिक मूल्य बहुत कम अर्थात केवल 1,400/- रूपए प्रति टन है, जबकि बड़े ग्रेनाइट ब्लाकों के लिए 15,000/- रूपए है।

(ii) कोबल पत्थरों का भारी मात्रा में पोतलदान उपस्कर और सेवाओं का प्रयोग करके भारी मात्रा में खनिजों और अयस्कों के पोतलदान की भांति किया जाता है।

(iii) राज्य सरकार ने भी इन मदों को धातुओं और खनिजों के अंतर्गत वर्गीकृत किया है। नया वर्गीकरण किए जाने की स्थिति में घाटशुल्क 15/- रूपए प्रति टन रखा जा सकता है।

6.3. **मैसर्स जेम फारवार्डर्स :**

(i) यह मदें कम वाणिज्यिक मूल्य वाली हैं।

(ii) पत्तन के भीतर इनका प्रहस्तन और लदान अन्य खनिजों की भांति समान है।

(iii) वे चीन जैसे अन्य देशों से कठोर प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं, जहां दरें बहुत कम हैं।

(iv) घाट शुल्क प्रभार 11.30 रूपए प्रति मी० टन की दर पर निर्धारित किए जा सकते हैं।

6.4. **भारतीय खनिज उद्योग संघ**

(i) कोबल पत्थरों/कर्ब पत्थरों के रूप में प्रयोग के लिए निर्यात किए जा रहे ग्रेनाईट के छोटे टुकड़े खनिज हैं। इसलिए, इन्हें मद संख्या 64 ख के अंतर्गत खनिजों के वर्गीकरण के अंगर्तत श्रेणीबद्ध किया जाए।

(ii) यह कम मूल्य वाली मदें है जिनके लिए उच्च घाटशुल्क प्रभार वहन करना कठिन है।

(iii) यद्यपि यह कम मूल्य वाली मदें हैं, फिर भी इनके लिए एक निर्यात बाजार है और इसलिए इनके निर्यात को प्रोत्साहन देना राष्ट्रीय हित में है।

(iv) पत्थरों के यह छोटे टुकड़े मूलतः खनन और बड़े आकार के पत्थरों के प्रस्संकरण के कारण छीजन सामग्री हैं और इसलिए उनके निर्यात से छीजन सामग्री के बड़े-बड़े ढेर बनने से रोककर पर्यावरणीय सुरक्षा के संवर्धन में सहायता मिलती है।

7. यह टिप्पणियां सीएचपीटी को पुनः प्राप्त सूचना के रूप में भेजी गई थीं। अपने उत्तर में सीएचपीटी ने निम्नलिखित उल्लेख किया है :-

(i) 20/- रूपए प्रति मी० टन की संशोधित दर तमिलनाडु सरकार के राजपत्र में दर प्रकाशित होने की तारीख 25 जून, 97 से दो रिट याचिकाकर्ता अर्थात (क) मैसर्स आर०आर० स्टोन्स लिमिटेड, (ख) मैसर्स आर्चियन ग्रेनाइटस (प्रा०) लिमिटेड को छोड़कर सभी पार्टियों पर लागू कर दी गई है। 20/- रूपए प्रति मी० टन के घाट शुल्क प्रभार का भुगतान कर रही अन्य पार्टियां निम्नलिखित हैं:-

(क) मैसर्स अर्किडिया शिपिंग एण्ड ट्रेडिंग,

(ख) मैसर्स ए0एस0 दोरायस्वामी एण्ड सन्स, और

(ग) मैसर्स जेम फारवार्डर्स ।

(ii) दिनांक 28 जून, 96 को आयोजित अपनी बैठक में सीएचपीटी बोर्ड ने इन दारें का अनुमोदन कर दिया है।

(iii) मद्रास उच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश अभी तक प्रभावी है और दो रिट याचिकाकर्ताओं यथा मैसर्स आर0आर0 स्टोन्स लिमिटेड और मैसर्स आर्थियन ग्रेनाइटस (प्रा0) लिमिटेड पर लागू है।

8. इस मामले में एक संयुक्त सुनवाई 7 सितम्बर, 99 को सीएचपीटी में आयोजित की गई थी। संयुक्त सुनवाई के दौरान निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए थेः-

8.1. **मैसर्स आर0आर0 स्टोन्स लिमिटेड**

(i) मैसर्स आर0आर0 स्टोन्स के श्री एस0आर0के0 रेड्डी ने उल्लेख किया है कि न्यायाल में उनके मामले के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के इस मामले में सुनवाई करने और निर्णय करने के संबंध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

(ii) यदि दर को बदलना ही है, तब यह अधिकतम 15/- रूपए प्रति मी0 टन हो सकती है।

(iii) लेखापरीक्षा ने धात्विक तत्व का उल्लेख किया है। उनकी टिप्पणी प्रासंगिक नहीं है।

(iv) मामला न्यायालय में लंबित है। सीएचपीटी को अभी अपना प्रत्युत्तर दाखिल करना है। लेकिन फर्म को प्रसन्नता होगी कि यदि यह मामला न्यायालय के बाहर निपटा लिया जाता है।

(v) एफआईएमआई ने इस कार्गो को मद संख्या 64 ख के अंतर्गत शामिल करने की सिफारिश की है।

(vi) राज्य सरकार ने कोबल पत्थरों को "खान और खनिज" के अंतर्गत वर्गीकृत किया है, जो कि मद संख्या 64 ख से सुसंबद्ध है।

(vii) यह टुकड़े वाले पत्थर (अथवा अधिक से अधिक कटाई वाले पत्थर) हैं, यह सुसज्जित पत्थर नहीं हैं। मद संख्या 77 किसी भी तरह से सुसंगत नहीं है।

(उन्होंने इस संबंध में एक लिखित पत्र भी भेजा है)

सीएचपीटी ने निम्नलिखित मुद्दे उठाए हैं :-

(i) सभी (मैसर्स आर0आर0 स्टोन्स को छोड़कर) 20/- रूपए का भुगतान कर रहे हैं।

(ii) "मैसर्स आर0आर0 स्टोन्स" का मामला अभी तक न्यायालय में लंबित है।

(iii) मैसर्स आर्चियन ग्रेनाइटस केवल 20/- रूपए प्रति मी० टन का भुगतान करने के लिए सहमत हैं। वे अंतर (38.50-20) की वापसी अदायगी चाहते हैं।

(iv) 38.50 रूपए की दर उचित रूप में निर्धारित और अधिसूचित की गई थी।

(v) 38.50 रूपए प्रति मी० टन से घटाकर 11.30 रूपए प्रति मी० टन करने का अध्यक्ष द्वारा अनुमोदन किया गया था। यह संशोधन का मामला नहीं था। यह केवल व्याख्या/वर्गीकरण में परिवर्तन का मामला था, इसे मद संख्या 77 से हटाकर मद संख्या 64 ख में रखा गया था।

(vi) अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारी मात्रा में कार्गो का बिल "लदान पत्र" अथवा "सर्वेक्षण रिपोर्ट" के आधार पर तैयार किया जाता है। यहाँ वजन तोलने की नई पद्धति क्यों आरम्भ की जा रही है? इस प्रकार के प्रचालनात्मक मामलों में हस्तक्षेप करने वाला लेखापरीक्षा कौन होता है। वजन तोलने के लिए लगभग 1.40 रूपए अतिरिक्त की ब्रैक्टों में प्रविष्टि समस्या पैदा कर रही है। इसे हटाया जाना आवश्यक है।

(vii) कर्ब/कोबल पत्थरों का निर्यात करने वाला एकमात्र पत्तन है। इसकी मात्रा काफी अधिक है। इसे प्रोत्साहित अवश्य किया जाए।

10. उपलब्ध रिकार्डों, इस मामले की कार्यवाही के दौरान एकत्र सूचना की समग्रता और ऊपर दिए गए विश्लेषण के आधार पर निम्नलिखित मुद्दे विचार हेतु उभर कर सामने आए हैं :-

(i) सीएचपीटी के दर मानों के अध्याय-II में मद संख्या 77 "पत्थरों-मूर्तिकला, सज्जित उत्कीर्ण की हुई पटिया" से संबंधित है और 38.50 रूपए प्रति मी० टन का प्रशुल्क विहित किया गया है।

(ii) वहीं मद संख्या 64 ख "निर्यात के लिए भारी मात्रा में अयस्क और खनिज" से संबंधित है और 11.30 रूपए प्रति मी० टन का प्रशुल्क विहित किया गया है।

(iii) कर्ब पत्थरों, कोबल पत्थरों और ग्रेनाइट के छोटे टुकड़ों के संबंध में कोई अलग प्रविष्टि नहीं है। जैसाकि पहले कहा गया है, इन्हें प्रारंभ में मद संख्या 77 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

(iv) बाद में व्यापार जगत से अभ्यावेदन पर सीएचपीटी के (तत्कालीन) अध्यक्ष ने इस कार्गो को मद संख्या 64 ख के अंतर्गत पुनः वर्गीकृत कर दिया था।

(v) इस पुनः वर्गीकरण पर लेखापरीक्षा ने आपत्ति की थी, जिन्होंने यह अनुभव किया था कि इस कार्गो में धात्विक तत्व के संदर्भ में और इस बात को देखते हुए कि इन्हें नियमित आकार में काटा जाता है, इन्हें मद संख्या 77 के अंतर्गत रखा जाए और 38.50 रूपए प्रति मी० टन की दर पर भारित किया जाए।

(vi) 1 जनवरी, 95 से प्रशुल्क की पुरानी ऊँची दर पुनः लागू करने पर व्यापार जगत की आपत्ति के दबाव और उनके दावे पर अधिक जोर के कारण सीएचपीटी ने इस कार्गो के संबंध में एक नई प्रविष्टि (यथा, मद संख्या 77 क) और

20/- रूपए प्रति मी0 टन के एक नए विशिष्ट प्रशुल्क का प्रावधान करने के लिए अपने न्यासी मंडल के अनुमोदन से केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत किए जाने हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

जब तक इस प्रस्ताव पर निर्णय किया जाता और अधिसूचित किया जाता तब तक महापत्तन न्यास अधिनियम में प्रशुल्क प्राधिकरण के गठन के लिए संशोधन कर दिया गया था। इस स्थिति में सरकार की स्वीकृति और राजपत्र अधिसूचना पर प्रश्न उठने लगा। इसलिए, सीएचपीटी का वर्तमान आवेदन-पत्र उक्त स्वीकृति और अधिसूचना को टीएएमपी द्वारा अभिपुष्टि से संबंधित है।

(vii) दो निर्यातकों - मैसर्स आर्चियन ग्रेनाइटस और मैसर्स आर0आर0 स्टोन्स ने प्रशुल्क की वृद्धि पर आपत्ति करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय से संपर्क किया है। उच्च न्यायालय ने इस विवाद का अंतिम समाधान होने तक इन दोनों पार्टियों को पुरानी दारें पर भुगतान करने की अनुमति प्रदान कर दी है।

(viii) अन्य निर्यातकों ने यद्यपि प्रशुल्क की वृद्धि पर आपत्ति की है, लेकिन उन्होंने किसी कानूनी सहायता की मांग नहीं की है। हालांकि, वे अनिच्छा से 38.50 रूपए प्रति मी0 टन का भुगतान करने के लिए तैयार थे। जब सीएचपीटी ने इस कार्गो के लिए 20/- रूपए प्रति मी0 टन के प्रशुल्क का प्रस्ताव किया, उन्होंने इसे तत्काल स्वीकार कर लिया और तदनुसार भुगतान करना आरंभ कर दिया। विशेषकर, मैसर्स आर्चियन ग्रेनाइटस ने इस व्यवस्था को स्वीकार कर लिया, लेकिन वे केवल 1 जनवरी, 95 से 38.50 रूपए और 20/- रूपए के बीच के अंतर की सीएचपीटी से वापसी अदायगी चाहते थे।

(ix) तथापि, मैसर्स आर0आर0 स्टोन्स ने इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपना मामला उच्च न्यायालय में दाखिल कर दिया है। फिर भी, यदि संभव हो वे इस मामले को न्यायालय से बाहर निपटाना चाहते हैं। इस पृष्ठभूमि में, उच्च न्यायालय में उनके आवेदन के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के वे इस मामले की कार्यवाहियों में स्वेच्छा से शामिल हुए हैं। संयुक्त सुनवाई के दौरान मैसर्स आर0आर0 स्टोन्स 15/- रूपए प्रति मी0 टन तक वृद्धि स्वीकार करने के इच्छुक थे।

(x) कर्ब पत्थर/कोबल पत्थर/ग्रेनाइट के छोटे टुकड़े बहुत कम मूल्य वाला कार्गो है और उच्च घाटशुल्क दर वहन नहीं कर सकता।

संयुक्त सुनवाई में सीएचपीटी भी सहमत था कि लेखापरीक्षा की आपत्ति को देखते हुए इस कार्गो के लिए प्रशुल्क मद संख्या 64 ख के अंतर्गत विहित के अनुसार जारी रखा जाए।

(xi) भारतीय खनिज उद्योग संघ (एफआईएमआई), जो कि संदर्भगत कार्गो के संबंध में एक व्यावसायिक निकाय है, ने इस कार्गो का वर्गीकरण केवल मद संख्या 64 ख के अंतर्गत करने की सिफारिश की है।

(xii) इस कार्गो का मूलतः मद संख्या 64 ख के अंतर्गत वर्गीकरण करने के निम्नलिखित कारण हैं :-

(क) कर्ब पत्थरों/कोबल पत्थरों/ग्रेनाईट के छोटे टुकड़ों का भारी मात्रा में पोतलदान उन्हीं उपस्कर और सेवाओं का प्रयोग करके किया जाता है, जिनका भारी मात्रा में अयस्कों और खनिजों के पोतलदान के लिए किया जाता है।

(ख) यह कम मूल्य वाला कार्गो घाटशुल्क की ऊँची दर वहन नहीं कर सकता।

(ग) इस कार्गो के निर्यात के लिए सहायता/प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है और एक बाजार रणनीति के रूप में सीएचपीटी इस व्यापार को आकर्षिक करना चाहता है।

(घ) राज्य सरकार भी इन पत्थरों की खानों को "खान और खनिज" शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत करती है और खनन पट्टे के लिए स्वीकृति राज्य सरकार के खान और भूविज्ञान विभाग से प्राप्त करनी होती है।

(xiii) यह टुकड़े वाले पत्थर (अथवा अधिक से अधिक कटाई वाले पत्थर) हैं, यह सुसज्जित पत्थर नहीं हैं। इसलिए, मद संख्या 77 इस मामले में किसी भी तरह से सुसंगत नही है। इन पत्थरों में धात्विक तत्व के बारे में लेखापरीक्षा की टिप्पणि भी इस मुद्दे के संबंधित बिंदु से सुसंगत नहीं है।

(xiv) इस कार्गो के लिए मद संख्या 64 ख के अंतर्गत 11.30 रूपए प्रति मी० टन के प्रशुल्क को जारी रखना तर्कसंगत होगा। इस मामले में आगे किसी भ्रांति को रोकने के लिए दरों के मान में इस मद संख्या की नामावली का "कर्ब पत्थरों, कोबल पत्थरों और ग्रेनाईट के छोटे टुकड़ों" का उल्लेख करने के लिए विस्तार किया जा सकता है।

(xv) फिर भी, इन निर्णयों को केवल भविष्य में लागू करने की हमारी सामान्य पद्धति के अनुसार यह आदेश इस मामले में प्राधिकरण के आदेश की अधिसूचना की तारीख से लागू किया जा सकता है।

(xvi) इसलिए जनवरी, 95 से अब तक के बीच की अवधि को मुकदमे में शामिल मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए सावधानी बरती जानी है। इस परिदृश्य की दृष्टि से पूर्ववर्ती राजपत्र अधिसूचना को स्वीकार करना और सरकार द्वारा जारी की गई स्वीकृति की अभिपुष्टि करना उचित होगा।

दूसरे शब्दों में सभी निर्यातकों को इस मामले में 1.1.95 से प्राधिकरण के आदेश की अधिसूचना की तारीख के बीच की अवधि के लिए 20/- रूपए प्रति मी० टन की दर पर भुगतान करना होगा। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि सभी निर्यातक (मैसर्स आर्चियन ग्रेनाईटस सहित) पहले ही तदनुसार प्रशुल्क का भुगतान कर रहे हैं।

केवल मैसर्स आर्चियन ग्रेनाइटस के मामले में पत्तन न्यास को 20/- रूपए प्रति मी० टन से अधिक संग्रह की गई राशि की वापसी अदायगी करनी होगी।

पुनः, मैसर्स आर०आर० स्टोन्स को 01 जनवरी, 95 से 20/- रूपए प्रति मी० टन की दर पर भुगतान करना होगा। यदि वे इस व्यवस्था को स्वीकार कर लेते हैं, तब उच्च न्यायालय में मामला समाप्त हो जाएगा। अन्यथा पत्तन न्यास याचिका का विरोध करना जारी रख सकती है और मामले में आने वाले अंतिम आदेशों का पालन करेगा।

(xvii) मद संख्या 64 ख में भारतोलन प्रभार के रूप में 11.40 रूपए प्रति मी० टन के अतिरिक्त प्रशुल्क का भी उल्लेख किया गया है। इसने परिहार्य भ्रांति और कठिनाई पैदा कर दी है। मैसर्स आर्चियन ग्रेनाइटस ने इस (अतिरिक्त) प्रशुल्क पर इस आधार पर आपत्ति की है कि यह तोलसेतु के प्रयोग पर ध्यान दिए बिना लगाया गया है। संयुक्त सुनवाई में पत्तन न्यास ने इस मुद्दे को स्वीकार कर लिया था। यह स्वीकार किया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी मात्रा वाले कार्गो का बिल "लदान पत्र" अथवा "सर्वेक्षण रिपोर्ट" के आधार पर होता है, "भारतोलन" की

कोई आवश्यकता नहीं होती। इस संदर्भगत आधारभूत प्रशुल्क के मामले में यह (अतिरिक्त) प्रशुल्क लेखापरीक्षा की टिप्पणि के आधार पर आरंभ किया गया है। निर्यातकों की आपत्ति को स्वीकार करने के अलावा पत्तन न्यास ने ऐसे प्रचालन संबंधी मामलों में लेखापरीक्षा के हस्तक्षेप की सक्षमता पर भी प्रश्न उठाया है। पत्तन न्यास की ओर से यह विशेष रूप से तर्क दिया गया है कि 1.40 रूपए प्रति मी० टन के अतिरिक्त प्रभार के संबंध में ब्रैकेट में प्रविष्टि एक कठिनाई पैदा कर रही है और यह कि इस प्रविष्टि को हटाए जाने की आवश्यकता है। इस दावे से संबद्ध सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सुविधा का संतुलन दरों के मान में मद संख्या 64 ख से इस प्रविष्टि को हटाने के पक्ष में होता दिखाई देगा।

11.1. इस मामले की जाँच में एकत्र सूचना के संदर्भ में और समग्र रूप से ध्यान देने के आधार पर इस मामले पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया और निम्नलिखित निर्णय किए गए :-

(i) सीएचपीटी के दरों के मान में एक नई मद संख्या 77 क शामिल करके कर्ब पत्थरों, कोबल पत्थरों और ग्रेनाइट के छोटे टुकड़ों के लिए 20/- रूपए प्रति मी० टन के घाटशुल्क दर के निर्धारण के संबंध में सरकार की स्वीकृति की अभिपुष्टि करने के प्रस्ताव का इस मामले में सरकारी स्वीकृति की तारीख (अर्थात जनवरी 95) से लागू करके प्राधिकरण के आदेश की अधिसूचना की तारीख तक के लिए अनुमोदन किया जाता है।

(ii) मद संख्या 64 ख के अंतर्गत इस कार्गो के लिए 11.30 रूपए प्रति मी० टन के मूल प्रशुल्क को बहाल करना तर्कसंगत होगा। तदनुसार, प्रशुल्क को इस आदेश की अधिसूचना की तारीख से 20/- रूपए प्रति मी० टन से घटा कर 11.30 रूपए प्रति मी० टन कर दिया जाएगा। इस मामले में आगे किसी भ्रांति को रोकने के लिए दरों के मान में इस मद की नामावली का "कर्ब पत्थरों, कोबल पत्थरों और ग्रेनाइट के छोटे टुकड़ों सहित निर्यात के लिए भारी मात्रा में सभी प्रकार के अयस्क और खनिज" का उल्लेख करने के लिए विस्तार किया जाएगा।

(iii) मुकदमे में शामिल मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए जनवरी, 95 से अब तक की मध्यावधि शामिल करने के लिए प्राधिकरण ने पूर्ववर्ती राजपत्र अधिसूचना को मान्यता दे दी है और सरकार द्वारा तत्संबंधी जारी स्वीकृति की अभिपुष्टि कर दी है। दूसरे शब्दों में सभी निर्यातकों को इस मामले में 1 जनवरी, 95 से प्राधिकरण के आदेश की अधिसूचना की तारीख तक की अवधि के लिए 20/- रूपए प्रति मी० टन की दर पर भुगतान करना होगा।

(iv) 38.50 रूपए प्रति मी० टन की दर पर प्रशुल्क लागू करने संबंधी पूर्ववर्ती निर्णय के संदर्भ में 20/- रूपए प्रति मी० टन से अधिक किए गए किसी संग्रह की वापसी अदायगी करना आवश्यक नही होगा। लंबी लेखासंबंधी कार्यवाही से बचने के लिए विभिन्न अवधियों में लागू की गई दरों के संदर्भ में किए गए सभी संग्रह नियमित किए गए माने जाएंगे।

11.2. मैसर्स आर०आर० स्टोन्स लिमिटेड को भी 1 जनवरी, 95 से 20/- रूपए प्रति मी० टन की दर पर भुगतान करना होगा। यदि वे इस व्यवस्था को स्वीकार कर लेते हैं, तब उच्च न्यायालय में मामला समाप्त हो जाएगा। अन्यथा पत्तन न्यास याचिका का विरोध करना जारी रख सकती है और उस मामले में आने वाले अंतिम आदेशों का पालन करेगा।

11.3. मद संख्या 64 ख के अंतर्गत भारतोलन प्रभार के रूप में 1.40 रूपए प्रति मी० टन के अतिरिक्त प्रशुल्क संबंधी प्रविष्टि को हटा दिया गया है, क्योंकि ऐसा लगता है कि इससे प्रयोक्ताओं और पत्तन न्यास के लिए (परिहार्य) समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

एम. सत्यम, अध्यक्ष

[विज्ञापन/3/4/असाधारण/143/99]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 1999

F. No. TAMP/6/98-CHPT.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (Act 38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby fixes the wharfage rate for Kerb Stones, Cobble Stones and small Granite pieces at the Chennai Port Trust as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

CASE NO.TAMP/6/98-CHPT

The Chennai Port Trust (CHPT) ... Applicant

ORDER

(Passed on this 29th day of October 99)

This case relates to a request for ratification of the Government sanction conveyed to the Chennai Port Trust vide letter No. PR-14012/13/96-PG dated 6 March 97, in respect of fixation of wharfage rate of Rs.20/- PMT for Kerb stones, Cobble stones and small Granite pieces by incorporating a new item No.77A in the Chennai Port Trust (CHPT) Scale of Rates. These were published in the Tamil Nadu Government Gazette on 25 June 97. The background of the case is explained below.

2. The Cobble stones were initially classified under Item – 77, Chapter II of the Scale of Rates – "Stones – Sculptural, engraved slabs dressed" levying a charge of Rs.38.50 per tonne.

3. This was resented by the trade on the ground that Cobble stones were small Granite pieces of low commercial value, handled in bulk and, as such, might be charged at the rate of Rs.11.30 PMT under item No.64B applicable to bulk cargo like Ore, Coal etc. As a gesture of goodwill, the port took a decision to levy the rate of Rs.11.30 PMT provided for "Ores and Minerals in bulk for Export" under item 64B of the Scale of Rates.

4. The Audit objected to this classification on the ground that metallic content was absent in the Granite pieces. In view of the Audit objection, the wharfage rate of Rs.38.50 applicable to large stones was again levied on Cobble stones with effect from January 95. Aggrieved by the decision of the Port Trust, the exporters filed a Writ Petition in the Madras High Court. The litigation is still

in progress in the Court. The Court passed an interim injunction restraining the CHPT from demanding and collecting wharfage charges as per classification 77 of the CHPT Scale of Rates. According to the port classification, the charge is @ Rs.38.50 PMT under item No.77, whereas according to the trade, it has to be charged @ Rs.11.30 PMT under Section 64B.

5. As the dispute has arisen because of the absence of any specific rate for small Granite pieces / Cobble stones in the Scale of Rates, the Port has decided to approve the new rate of Rs.20/- PMT for Cobble stones / Kerb stones shipped in bulk, by proposing a new entry 77A in the CHPT's Scale of Rates.

6. In accordance with the procedure being followed by the Authority, comments were called for from various users / representative body of port users namely, M/s. A.S. Doraiswamy and Sons, M/s. Archean Granites (P) Limited, M/s. R.R. Stones (P) Limited, M/s. Arcadia Shipping and Trading, M/s. Gem Forwarders, Madras Chamber of Commerce and Industry (MCCI), Southern India Chamber of Commerce and Industry (SICCI) and Federation of Indian Mineral Industries (FIMI). Comments have been received from M/s. Archean Granites (P) Limited, M/s. R.R. Stones (P) Limited, M/s. Gem Forwarders and FIMI only. These are given below in brief:-

6.1. **M/s. Archean Granites (P) Limited:**

(i). They are facing stiff competition from China. Unless sufficient support is given in the form of cost reduction, it will be difficult to maintain the trade.

(ii). The handling of Cobble stones is the same as handling of other minerals like Barytes and ores and, as such, it will be appropriate to charge the wharfage of Rs.11.30 PMT. Any increase will be unfair and will be a discouragement to exporters.

(iii). For weighment, they are raising private weighbridges; but, the Port is charging for the same. It is not correct to collect any charges for services not rendered.

6.2. **M/s. R.R. Stones Limited:**

(i). The item may be classified under item No.64B of the CHPT's Scale of Rates applicable to ores and minerals as they have very low commercial value i.e. Rs.1400 per tonne only, as against Rs.15,000/- for large Granite Blocks.

(ii). Cobble stones are shipped in bulk quantities using equipment and services similar to that of ores and minerals in bulk.

(iii). The State Government has also classified these items under Mines and Minerals. In case a new classification is given, the wharfage may be kept at Rs.15/- per tonne.

6.3. **M/s. Gem Forwarders:**

(i). These items are of low commercial value.

(ii). Handling and loading of cargo inside port are same as of other minerals.

(iii). They are facing tough competition from other countries like China, where the rates are much lower.

(iv). The wharfage charges may be fixed @ Rs.11.30 PMT.

6.4. **Federation of Indian Mineral Industries:**

(i). Small Granite pieces which are being exported for use as Cobble stones / Kerb stones are minerals. As such, these must be categorized under the classification of minerals under item No.64B.

(ii). These are low value item which are unable to sustain high wharfage charges.

(iii). Though these are low value items, there is an export market for them and hence it is in the national interest to encourage export of the same.

(iv). These small stones are basically waste material incidental to the mining and processing of large dimensional stones and hence their export contributes towards the promotion of environmental protection, by preventing build up of large dumps of waste material.

7. These comments were sent to the CHPT by way of feed-back information. In their reply, the CHPT has stated as under:-

(i). The revised rate of Rs.20/- PMT has been made applicable for all parties except the two Writ Petitioners namely (a) M/s. R.R. Stones Limited, and (b) M/s. Archean Granites (P) Limited, with effect from 25 June 97 on which the rate has been published in the Tamil Nadu Government Gazette. The other parties who are paying the wharfage charge of Rs.20/- PMT are,

(a) M/s. Arcadia Shipping & Trading;

(b) M/s. A.S. Doraiswamy & Sons; and,

(c) M/s. Gem Forwarders.

(ii). These rates have been approved by the CHPT Board in its meting held on 28 June 96.

(iii). The interim injunction of the Madras High Court is still in force and applicable to the two Writ Petitioners namely M/s. R.R. Stones Limited and M/s. Archean Granites (P) Limited.

8. A joint hearing in this case was held at the CHPT on 7 September 99. During the joint hearing, the following points were made:

8.1. **M/s. R.R. Stones Limited**

(i). Shri S.R.K. Reddy of M/s. R.R. Stones has stated that they have no objection to this case being heard and decided without prejudice to their case in the Court.

(ii). If at all the rate has to change, the maximum can be Rs.15/- PMT.

(iii). Audit has cited metallic content, etc. Their observations are not relevant.

(iv). The case is pending in the Court. CHPT is yet to file its counter. But, the firm will be happy if it can be settled outside the Court.

(v). FIMI has recommended coverage of this cargo under item 64B.

(vi). The State Government has classified Cobble stones under 'Mines and Minerals' which is relatable to item 64B.

(vii). These are split stones (or, at best cut stones); these are not dressed stones. Item 77 is not at all relevant.

(They have also sent a written communication to this effect)

9. The CHPT have made the following points:

(i). All (except M/s. R.R. Stones) are paying Rs.20/-.

(ii). 'M/s. R.R. Stones' case is still pending in the court.

(iii). M/s. Archean Granites are agreeable to pay Rs.20/- PMT only. They want the difference (38.50 – 20) to be refunded.

(iv). The rate of Rs.38.50 was properly fixed and notified.

(v). Reduction from Rs.38.50 PMT to Rs.11.30 PMT was approved by Chairman. It was not a case of revision. It was only a case of

change in interpretation / classification; it was shifted from item 77 to 64B.

(vi). Internationally, bulk cargo is billed on the basis of 'bill of lading' or 'survey report'. Why introduce a new practice of requiring weighment here? Who is audit to interfere in such operational matters? The entry in brackets about Rs.1.40/- extra for weighment is causing the problem. That needs to be removed.

(vii). This is the only port exporting Kerb / Cobble stones. The volume is substantial. This must be encouraged.

10. On the basis of the records available, the totality of information collected during the proceedings of this case, and the analysis given above, the following points emerged for consideration:

(i). Item-77 in Chapter II of the CHPT Scale of Rates relates to "Stones – Sculptural, Engraved slabs dressed" and prescribes a tariff of Rs.38.50 PMT.

(ii). Item-64B ibid relates to "Ores and Minerals in bulk for Export" and prescribes a tariff of Rs.11.30 PMT.

(iii). There is no separate entry relating to Kerb Stones, Cobble stones, and small Granite pieces. These were initially classified under Item-77 as aforesaid.

(iv). Subsequently, on a representation from the trade, the (then) Chairman of the CHPT reclassified this cargo under Item-64B.

(v). This reclassification was objected to by the Audit who felt that, with reference to the metallic content in this cargo and taking into account the fact that they are cut into regular sizes, it should be retained under Item-77 and charged at the rate of Rs.38.50 PMT.

(vi). In response to a reiteration of the trade's objection to re-imposition of the old higher rate of tariff with effect from 1 January 95, and in appreciation of the force in their contentions, the CHPT moved a proposal, with the approval of its Board of Trustees, for sanction by the Central Government of a new entry (viz., Item-77A) in respect of this cargo and providing a specific (new) tariff of Rs.20/- PMT.

By the time this proposal was decided and notified, the MPT Act had been amended to provide for constitution of the Tariff Authority. In the event, legality of the said Government sanction and the Gazette notification came to be questioned. Hence the present application of the CHPT for ratification by the TAMP of the said sanction and notification.

(vii). Two exporters – M/s. Archean Granites and M/s. R.R. Stones – have approached the High Court of Madras objecting to the enhancement of tariff. The High Court has allowed both these parties to pay at the old rate pending a final resolution of this dispute.

(viii). The other exporters, although they had objected to the enhancement of the tariff, did not seek any legal redressal. They were even ready to pay Rs.38.50 PMT albeit grudgingly. When the CHPT came up with a proposal for a special tariff of Rs.20/- PMT for this cargo, therefore, they readily accepted it and have started paying accordingly. Significantly, even M/s. Archean Granites have accepted this arrangement; only, they want the difference between Rs.38.50 and Rs.20/- to be refunded by the CHPT with effect from 1 January 95.

(ix). M/s. R.R. Stones have, however, not accepted this arrangement. They have pursued their case in the High Court. Nevertheless, they are willing to have this matter settled out of Court if possible. In this backdrop, they have willingly participated in the proceedings of this case without prejudice to their application in the High Court.

At the joint hearing, M/s. R.R. Stones even volunteered to accept an increase upto Rs.15/- PMT.

(x). Kerb Stones / Cobble stones / small Granite pieces is a cargo of very low value and cannot bear a high wharfage rate.

At the joint hearing, the CHPT also agreed that, but for the audit objection, the tariff for this cargo would have continued to be that prescribed under Item-64B.

(xi). The Federation of Indian Mineral Industries (FIMI), a professional body relating to the cargo in reference, has recommended classification of this cargo only under Item-64B.

(xii). The reasons for classification of this cargo originally under Item-64B are as follows:

(a). Kerb Stones / Cobble stones / small Granite pieces are shipped in bulk quantities using equipment and services similar to those used for Ores and Minerals in bulk.

(b). This low-value cargo cannot bear a higher rate of wharfage.

(c). Export of this cargo needs support/encouragement and, as a market strategy, the CHPT wishes to attract the trade.

(d). The State Government also classifies the quarries of these stones under head 'Mines and Minerals'; and, clearance for the quarry lease has to be obtained from the Department of Mines and Geology of the State Government.

(xiii). These are split (or, at best, cut) stones; these are not dressed stones. Item-77 is, therefore, not at all relevant in this case.

The Audit observation about the metallic content in these stones is also not relevant to the point at issue.

(xiv). It will be reasonable to continue with the tariff of Rs.11.30 PMT for this cargo under Item-64B.

To avoid any further confusion in this matter, the nomenclature of this item number in the Scale of Rates can be expanded to state "including Kerb Stones, Cobble stones, and small Granite pieces".

(xv). Nevertheless, in realisation of our normal practice of enforcing these decisions only prospectively, this prescription can be required to come into operation from the date of notification of the Authority's order in this case.

(xvi). Care has, therefore, to be taken to cover the interregnum from January 95 to date to steer clear of the issues involved in the litigation. Viewed in this perspective, it will be advisable to recognise the earlier Gazette notification and ratify the sanction given therefor by the Government.

In other words, all the exporters will be required to pay @ Rs.20/- PMT for the period 1.1.95 to the date of notification of the Authority's order in this case. It is noteworthy in this context that all the exporters (including M/s. Archean Granites) are already paying tariff accordingly.

Only, in the case of M/s. Archean Granites, the Port Trust will have to refund the amount collected in excess of Rs.20/- PMT.

Again, M/s. R.R. Stones will also be required to pay at the rate of Rs.20/- PMT with effect from 1 January 95. If they accept this arrangement, then, the case in the High Court will abate. Otherwise, the Port Trust can continue to contest the petition and abide by the final orders emerging from that case.

(xvii). Item-64B refers also to an additional tariff of Rs.1.40 PMT as weighment charges. This has caused avoidable confusion and hardship. M/s. Archean Granites have objected to this (additional) tariff on the ground that it is levied irrespective of use of the weighbridge. At the joint hearing, the Port Trust conceded this point. It was admitted that internationally bulk cargo is billed on the basis of the 'bill of lading' or the 'survey report'; there is no requirement of 'weighment'. As in the case of the basic tariff in reference, this (additional) tariff has also come to be introduced on the basis of the Audit observation. Besides conceding the objection of the exporters, the Port Trust has also questioned the

competence of the Audit to interfere in such operational matters. It has specifically been pleaded on behalf of the Port Trust that the entry in brackets about an additional tariff of Rs.1.40 PMT is causing a problem and that the entry needs to be removed. Taking into account all the facts relevant to this contention, the balance of convenience will seem to lie in favour of removing this entry from Item-64B in the Scale of Rates.

11.1. With reference to the totality of information collected in the procession of this case, and based on a collective application of mind, the case was discussed in detail and the following decisions were taken :-

(i). The proposal to ratify the Government sanction in respect of fixation of wharfage rate of Rs.20/- PMT for Kerb Stones, Cobble Stones and small Granite pieces by incorporating a new item No.77A in the CHPT Scale of Rates is approved with effect from the date of Government sanction (i.e. January 95) to the date of Notification of the Authority's order in this case.

(ii). It will be reasonable to reinstate the original tariff of Rs.11.30 PMT for this cargo under item 64-B. Accordingly, the tariff will be reduced from Rs.20 PMT to Rs. 11.30 PMT with effect from the date of Notification of this order.

To avoid any further confusion in this matter, the nomenclature of this item in the Scale of Rates shall be expanded to state "Ores and minerals of all kinds in bulk for exports Including Kerb Stones, Cobble Stones, and small Granite pieces."

(iii). To cover the interregnum from January 95 to date to steer clear of the issues involved in the litigation, the Authority has recognised the earlier Gazette Notification and ratified the sanction given therefor by the Government. In other words, all the exporters will be required to pay a rate of Rs.20/- PMT for the period 1 January 95 to the date of Notification of the Authority's order in this case.

(iv). There will be no need for refunds of any collections made in excess of Rs.20 PMT with reference to the earlier decision of levying the tariff @ Rs.38.50 PMT. To avoid interminable accounting hassles, all collections made with reference to the rates enforced at different periods will be deemed to have been regularly made.

11.2. M/s. R.R. Stones Limited will also be required to pay at the rate of Rs.20/- PMT with effect from 1 January 95. If they accept this arrangement, then the case in the High Court will abate. Otherwise, the Port Trust can continue to contest the petition and abide by the final orders emerging from that case.

11.3. The entry under item 64B about additional tariff of Rs.1.40 PMT as weighment charges removed as it has been seen to cause (avoidable) problems to the users and the Port Trust.

S. SATHYAM, Chairman

[Advt./III/IV/Exty/143/99]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054